समक्ष :— न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. केम्प भोपाल

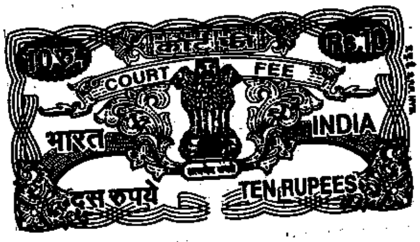

पुनरीक्षण कमांक :— ....../2017

प्रस्तुत दिनांक :— 16 मार्च 2017

श्रीमति रीना अग्रवाल आयु लगभग 35 साल,
पत्नि मनीष अग्रवाल, धंधा गृह कार्य,
निवासी छत्रपति शिवाजी वार्ड, हरदा,
जिला हरदा म. प्र ....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका

:: ब ना म ::

म.प्र. शासन,
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
हरदा जिला हरदा (म.प्र.) ....उत्तरवादी

निर्देश व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय है :—

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की और से न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प हरदा जिला हरदा म. प्र. के द्वारा प्रकरण कमांक 06/सी—132/13—14 में पारित आदेश दिनांक 18/02/2016 से असंतुष्ट/दु:खी व पीडित होकर यह निर्देश/पुनरीक्षण पेश कर निवेदन है कि :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7064–पीबीआर/17 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–8–2017	आवेदिका की ओर से श्री राहुल करवाल, अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी लगभग 1 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी होना दर्शाया गया है, जो समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	